न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 131 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/134)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 26.08.2021

1. श्री गोपालसिंह पिता प्रतापसिंह राजपुत, निवासी सालरिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री तख्तसिंह पिता गोपालसिंह राजपुत, निवासी सालरिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री देवेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह राजपुत, निवासी सालरिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत तुम्बडिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत तुम्बडिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश
क्रमांक / राजस्व / साप्रआ / 12–6(5)04 / 694 दिनांक 27.04.2004

निर्णय

दिनांक 26.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक / राजस्व / साप्रआ / 12–6(4)04 / 694 दिनांक 27.04.2004 के विरूद्ध दिनांक 09.10.2015 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में दिनांक 24.12.2019 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6 (4) 04/694 दिनांक 27.04.2004 से तहसीलदार, गंगरार की अनुशंषा पर मौजा सालरिया की आराजी नम्बर 299 मी, 316 मी, 349, 369, 289, 319, एवं 540 की आराजीयात को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के साथ ही अपीलांट्स के कब्जे काश्त की आराजी नम्बर 349 रकबा 2.50 हैक्टेयर को भी वर्णित आदेश से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह हेतु आवंटित किये जाने से अप्रसन्न होकर एवं व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार होने से अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.08.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा सालरिया की अराजी नम्बर 349 रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट्स काफी अर्से से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। फिर भी पटवारी हल्का ने अन्य आराजीयात के साथ अपीलांट्स की भूमि को भी खाली भूमि होना बता दिया गया, वक्त आरक्षित उक्त भूमि खाली नही थी। अपीलांट्स को उक्त भूमि से बदेखल किये बिना तहसीलदार, गंगरार व ग्राम पंचायत ने उक्त आराजीयात के संबंध में गलत अनुशंषा की है, उसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित निर्णय पारित किया है। विवादित आराजीय अपीलांट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है, व अपीलांट्स के विरूद्ध नियमित रूप से नाजायज कब्जे की कार्यवाही की जाती रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश से अपीलांट्स के हित प्रभावित होने से अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नही होने से धारा 96 जा. दी. के साथ अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ आदेश क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12–6 (4) 04/694 दिनांक 27.04.2004 से तहसीलदार, गंगरार की अनुशंषा पर मौजा सालरिया की आराजी नम्बर 299 मी, 316 मी, 349, 369, 289, 319, एवं 540 की आराजीयात को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चरागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2004 नियमानुसार होकर उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस के बाद आदेश दिनांक 26.08.2021 से पूर्व अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.08.2021 को पुनः आदेश 41 नियम 27 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत एक आवेदन पेश किया जो हालांकि बहस के पश्चात् पेश किया हुआ आवेदन है तथा इससे

संबंधित दस्तावेजात पूर्व से अपील के साथ प्रस्तुत किये हुए हैं। सभी दस्तावेजात फोटोप्रतियां है जो प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं है फिर भी न्यायहित में सुसंगतता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दस्तावेजात को रेकर्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अब हम सर्वप्रथम अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये दफा 5 जा. दी. के मियाद के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04. 2004 को अपने आदेश क्रमांक–694 दिनांक 27.04.2004 से ग्राम सालरिया की आराजी नं0 349 रकबा 2.5 हैक्टेयर को बिलानाम से चारागाह घोषित किया है। अब हम यह देखते है कि दफा 5 जा.दी. के आवेदन में यह वर्णित किया है कि उसे सूचना दिये बिना उक्त भूमि को चारागाह कर दिया गया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी उसे दिनांक 29.09.2015 को पटवारी हल्का को नकल हेतु प्रार्थना–पत्र देने पर दिनांक 30.09.2015 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी होने के बाद अंदर मियाद उसके द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा इसके खण्डन में यह कहा गया कि अपीलाण्ट को पूर्व से ही इस निर्णय की जानकारी थी एवं वर्ष 2004 के निर्णय की अपील दिनांक 09.10.2015 को करीब 11 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट के आवेदन के सन्दर्भ में अपीलाण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के तहत पेश किये गये आवेदन का यदि हम अवलोकन करें तो यह पाते हैं कि उसके स्वयं द्वारा जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, उक्त दस्तावेजात में तथा अपील में पेशशुदा दस्तावेजात में से अपील पत्रावली के पृष्ठ संख्या 21 पर अपीलाण्ट संख्या 1 को दिये गये नोटिस में आराजी नं0 349 / 1005 रकबा 0.32 हैक्टेयर की किस्म चरनोट होने का नोटिस उसके स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो वर्ष 2012 का है। इसी प्रकार अपील पत्रावली के पृष्ठ संख्या 24 पर अपीलाण्ट संख्या 3 को वर्ष 2012 में जो आराजी नं0 349 / 1005 रकबा 0.55 हैक्टेयर का जो नोटिस दिया है, उसमें भी भूमि की किस्म चरनोट वर्णित है। इसी प्रकार

अपील पत्रावली के पृष्ठ संख्या 26 पर अपीलाण्ट संख्या 2 को वर्ष 2012 में जो आराजी नं0 349/1005 रकबा 0.52 हैक्टेयर का जो नोटिस दिया है, उसमें भी भूमि की किस्म चरनोट अंकित है। इसी प्रकार अपील पत्रावली के पृष्ठ संख्या 29 पर अपीलाण्ट स्वयं द्वारा पेश किये गये नोटिस अनुसार अपीलाण्ट संख्या 2 व 3 को वर्ष 2012 में जो आराजी नं0 349/1005 रकबा 0.55 हैक्टेयर का जो नोटिस दिया है, उसमें भी भूमि की किस्म चरनोट होना अंकित है।

उपरोक्त समस्त नोटिस अपीलाण्ट स्वयं द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। इन अतिक्रमणों के नोटिस जो कि अपीलाण्ट स्वयं प्रस्तुत करता है, उनमें वर्ष 2012 में जमीन की किस्म चरनोट होना वर्णित है, तो अपीलाण्ट द्वारा यह कथन करना कि उसे भूमि के चरनोट होने की जानकारी सर्वप्रथम वर्ष 2015 में हुई, कदापि रेकर्ड के अनुसार ही मिथ्या कथन है। वर्ष 2012 में अपीलाण्ट को जानकारी होने के 3 वर्ष तक उसके द्वारा आलोच्य आदेश की अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई कारण वर्णित नहीं किया गया है तथा वर्ष 2015 में उसे जानकारी होने का जो कथन किया है, वह रेकर्ड से ही पूर्णतया झूंठा एवं भ्रामक है तथा इससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा मियाद कण्डोन करने का जो आवेदन उसके द्वारा दिया गया है, वह पूर्णतया असत्य है, अतएवं अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील स्पष्टतया मियाद बाहर है तथा मियाद का आवेदन असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने के कारण एवं अपील मियाद कण्डोन किये जाने के लिए उचित व पर्याप्त कारण नहीं होने के कारण अपील बैरून मियाद होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,उदयपुर